


कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)

②

निविदा आमंत्रण सूचना

26-04-2024

जिला न्यायालय, इंदौर के कार्यालय उपयोग की परिवहन व्यवस्था हेतु निविदा दस्तावेज में उल्लेखित नियमों एवं शर्तों के अंतर्गत स्विफ्ट डिजायर, जेस्ट एवं समकक्ष वाहन किराये पर लेने हेतु प्रतिष्ठित सेवा प्रदाताओं से निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 04 मई 2024 को सायं 05.00 बजे तक है। सील बंद निविदायें समस्त दस्तावेज सहित प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को सम्बोधित करते हुए आवक शाखा में जमा करना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 06 मई 2024 को सायं 05.00 बजे खोली जावेगी। विस्तृत निविदा दस्तावेज माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
इंदौर

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर (म.प्र.)

तकनीकी निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/
कंपनी द्वारा निम्न जानकारी की पूर्ति की जानी है।
(दस्तावेज संलग्न करें)

सरल क्रमांक	शीर्षक	विवरण	दस्तावेज (संलग्न है अथवा नहीं)
1	निविदाकर्ता का नाम तथा पता (फोन नंबर, ई-मेल एवं पंजीयन क्रमांक के साथ उल्लेख करें)		
2	व्यवसाय का प्रकार		
3	जी. एस. टी. पंजीयन संबंधित विवरण एवं नवीनतम जी. एस. टी. रिटर्न		
4	निविदाकर्ता का आयकर पेन (PAN) नं. गत तीन वित्तीय वर्षों (2021-2022, 2022-2023 और 2023-2024) के आयकर रिटर्न		
5	निविदाकार का स्वयं के वाहन न होने की दशा में वाहन के पंजीकृत स्वामी के साथ निविदाकार द्वारा वाहन को किराये पर लिये जाने की स्वीकृति वाला अनुबंध पत्र		
6	वाहन के वास्तविक स्वामी की जानकारी (वाहन क्रमांक, नाम व पूर्ण पता)		
7	आर. टी. ओ. से संबंधित दस्तावेज		
8	टैक्स		
9	बीमा		
	पूर्व में किसी संस्था/कंपनी को किराये पर वाहन उपलब्ध करवाने संबंधी जानकारी (संस्था का नाम, पता तथा समयावधि जिसके लिए वाहन किराये पर प्रदाय किया गया)		

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा

वित्तीय निविदा फार्म

इस निविदा आमंत्रण में रूचि रखने वाले व्यक्ति/फर्म/संस्था/कंपनी द्वारा निम्न प्रारूप में वित्तीय निविदा प्रस्तुत की जानी है

मासिक दर (प्रति वाहन)– अधिकतम रूपये 30,204 /– अथवा इस से कम

(स्विफ्ट डिजायर, जेस्ट एवं समकक्ष वाहन के किराए की दर)

क्र.	विवरण	मासिक दर (प्रति वाहन) प्रति माह
1	वाहन एवं ड्राइवर की प्रतिदिन 24 घंटे उपलब्धता	

नाम तथा हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरी

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुद्रा


आवश्यक शर्तें

- 1— इस निविदा आमंत्रण के अधीन प्रस्तुत प्रस्ताव दो—निविदा प्रणाली के अनुसार प्रस्तुत किये जावेंगे। जिसमें पहला लिफाफा तकनीकी निविदा एवं दूसरा लिफाफा वित्तीय निविदा का होगा। दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफा में रखकर प्रस्तुत किये जावेंगे। तकनीकी निविदा में पात्र निविदाकर्ताओं के वित्तीय निविदा पर विचार किया जावेगा। समस्त निविदायें निविदाकारों अथवा उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में यदि वे उपस्थित हो, खोली जावेगी।
- 2— अनुबंधित वाहन अच्छी कंडीशन में एवं 02 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। वाहन साफ सुथरा एवं सही हालत में रखा जाना होगा। जिसमें आवश्यक सीट कवर, पर्दे एवं अन्य सहायक उपकरण की उपलब्धता संविदाकार द्वारा की जावेगी।
- 3— अनुबंधित वाहन की कीमत 8,00,000/- से अधिक होना अनिवार्य होगा।
- 4— कार्यालय कलेक्टर (सत्कार शाखा जिला इंदौर) द्वारा किराये के वाहनों हेतु प्राप्त निविदाओं के तुलनात्मक पत्रक गठित समिति द्वारा परीक्षण उपरांत न्यूनतम दर सूची के सरल क्रमांक 10 पर अंकित प्रतिमाह निर्धारित दर राशि रूपये 30204/- अथवा इससे कम राशि में वाहन किराये से उपलब्ध कराये जाने बाबत निविदाएं निविदाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की जावेगी। वाहन निर्धारित किलोमीटर से अधिक चलाये जाने की स्थिति में कलेक्टर सूची के सरल क्रमांक 6 में अंकित निर्धारित दर के अनुसार राशि पृथक से प्रदाय की जायेगी।
- 5— वाहन के साथ 24 घंटे वाहन चालक उपलब्ध कराया जावेगा। वाहन चालक के अवकाश पर होने की स्थिति में अन्य वाहन चालक की व्यवस्था का दायित्व संविदाकार का रहेगा। किसी भी दुर्घटना की स्थिति में उत्पन्न समस्त दावे संविदाकार द्वारा वहन किये जावेंगे। वाहन चालक का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जाकर सफल निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा। वाहन चालक द्वारा मोबाईल फोन सदैव चालू रखा जावेगा एवं सफल निविदाकर्ता तथा वाहन चालक को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अन्य अधिकृत अधिकारीगण के निर्देशों का पालन करना होगा।
- 6— संविदाकार द्वारा एयरकंडीशन वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
- 7— अनुबंधित वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइवर लाईसेंस, वाहन फिटनेस, कमर्शियल पासिंग सहित समस्त दस्तावेज निविदा में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 8— वाहन में टूट-फूट, मरम्मत आदि कराये जाने का एवं वाहन को

- अच्छी कंडीशन में रखने का दायित्व संविदाकार का रहेगा।
- 9- प्रारंभिक स्तर पर वाहन दिनांक 31 जुलाई 2024 तक किराये पर लिया जाना है। जिसकी अवधि आगामी पॉलिसी अनुसार बढ़ाई जा सकेगी।
 - 10- दिनांक 31 जुलाई 2024 तक वाहन किराये पर लिये जाने हेतु सफल संविदाकार को राशि रूपये 5,000/- की निविदा प्रतिभूति राशि डी. डी./एफडीआर के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर के नाम जमा कराई जानी होगी। जिसे अनुबंध समाप्ति के पश्चात् संविदाकार को वापिस कर दिया जावेगा। निविदा दस्तावेज जिला न्यायालय के नजारत अनुविभाग से प्राप्त किये जा सकते हैं जिस हेतु राशि रूपये 100/- निविदा दस्तावेज मूल्य चालान माध्यम से (हेड 0070-01-800-0000 न्याय प्रशासन अन्य प्राप्तियां) में जमा किये जाकर चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी होगी।
 - 11- निविदा के संबंध में आगामी संशोधन होने की स्थिति में सूचना माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की वेब साईट पर उपलब्ध कराई जावेगी। निविदाकर्ताओं से कोई व्यक्तिगत पत्राचार नहीं किया जावेगा।
 - 12- किसी कारण से निविदा जमा किये जाने अथवा खोले जाने की तिथि में अवकाश घोषित होने अथवा अन्य किसी कारण से कार्यवाही नहीं होने पर आगामी तिथि से निविदाकर्ताओं को अवगत कराया जावेगा।
 - 13- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इंदौर को किसी भी प्रस्ताव को बिना किसी कारण स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 - 14- निविदाकर्ताओं को निविदा दस्तावेज में मांगी गई समस्त जानकारी स्पष्ट रूप से भरा जाना एवं निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा। निविदा दस्तावेज में किसी प्रकार की काटा-छाटी मान्य नहीं होगी।
 - 15- निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् सफल निविदाकर्ता द्वारा शर्तों का पालन नहीं किये जाने की स्थिति में निविदाकर्ता की प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी एवं अनुबंध समाप्त कर दिया जावेगा।
 - 16- प्रत्येक निविदाकर्ता को एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अधिकार होगा जिसे वे व्यक्तिगत रूप से अथवा किसी संयुक्त फर्म के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। एक पक्षकार द्वारा एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - 17- सफल निविदाकर्ता को निविदा दिये जाने की सूचना कार्य आदेश द्वारा दी जावेगी। तदुपरांत निविदाकर्ता को जिला न्यायालय में उपस्थित होकर अनुबंध निष्पादित करना होगा। जिसका समस्त व्यय

- निविदाकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।
- 18— सफल निविदाकर्ता के देयकों का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा संधारित लॉग बुक में इन्द्राज जानकारी के अनुसार किया जावेगा। वाहन चालक को प्रत्येक दिवस में चलाये गये वाहन की जानकारी एवं भरवाये गये पेट्रोल/डीजल की जानकारी रसीद सहित लॉग बुक में दर्ज की जाकर प्राधिकृत अधिकारी से प्रमाणित कराया जाना अनिवार्य होगा। देयक का भुगतान प्रत्येक माह के अंत में किया जावेगा। निविदाकार के देयक का भुगतान शासकीय हेड में उपलब्ध बजट की स्थिति पर निर्भर होगा। भुगतान में विलंब की स्थिति में निविदाकार द्वारा जिला न्यायालय से किसी प्रकार की छतिपूर्ति की मांग नहीं की जावेगी।
- 19— निविदा से संबंधित आवश्यक जानकारी हेतु जिला नाजिर, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय इंदौर से उनके दूरभाष नं. 9826602840 पर संपर्क किया जा सकता है।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
इंदौर